न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–87/2018

मृतक डा0 महात्मा मणी तिवारी के विधिक वारिसान.....वादीगण

बनाम

ओमप्रकाश गुप्ता एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
14.12.2022	वादीगण की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 24.12.2021 के आदेश हेतु नियत है। वादीगण की ओर से दिनांक 24.12.2021 को आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत निषेधाज्ञा आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 24.12.2021 में कहा गया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वादग्रस्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जें के आधार पर अपने स्वत्व की घोषणा हेतु लाया गया है तथा वादीगण के वादपत्र को भी इस आवेदन का अंश माना जाये। वादग्रस्त भूमि मूल रूप से प्रतिवादीगणों के पिता मदनमोहन प्रसाद गुप्ता की है। जिन्होंने एक निबंधित महादा दिनांक 25.04.2003 को वादग्रस्त भूमि के संबंध में तैयार किया तथा वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को प्रदान कर दिया। अनुबंध के निष्पादन के लिए निर्धारित समयावधि से पूर्व ही एक मोटर दुर्घटना में प्रतिवादीगणों के पिता मदनमोहन प्रसाद गुप्ता की मृत्यु हो गयी। वादी के द्वारा प्रतिवादीगणों से विक्रय विलेख निष्पादित कराने हेतु सम्पर्क किया तो प्रतिवादीगण इससे बचने का बहाना करने लगे। दिनांक 30.01.2004 को वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपने अधीन कर लिया गया तथा प्रतिवादीगणों को सूचित करने के बाद वादी वादग्रस्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा में नियमित रूप से तभी से आज दिनांक तक चले आ रहे है तथा वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर खेती की जा रही है तथा वादग्रस्त भूमि का उपभोग किया जा रहा है तथा प्रतिवादीगण तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वादी के अधिकारों से इनकार नही किया गया। वादग्रस्त भूमि पर वादी का 12 वर्षो से अधिक समय से कब्जा है। दिनांक 30.01.2016 को वादी प्रतिकूल कब्जें के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व एवं अधिकार प्राप्त कर चुका है। आजकल प्रतिवादी वादी को जबरदस्ती वादग्रस्त भूमि के कब्जें से हटाने की कोशिश कर रहे है तथा भूमाफियाओं के द्वारा वादी	

लगातार 14.12.2022	को धमकी दी जा रही है तथा प्रतिवादीगण किसी भी तरीके से वादग्रस्त भूमि के अंतरण की कोशिश कर रहे है। वाद लबंन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षक न्यायालय होता है। अतः न्यायालय का कर्तव्य है कि वादग्रस्त भूमि की प्रकृति, आकार एवं पहचान की रक्षा करें। अगर वादी को सुरक्षा प्रदान नही किया जाता तो वाद का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में है। सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। अगर वादी का आवेदन स्वीकार नही किया जाता तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना है कि वादग्रस्त भूमि पर अंतरिम आदेश द्वारा यथास्थिति बनाये रखने एवं वाद के लबंन के दौरान भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने की कृपा करें। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निषेधाज्ञा आवेदन की प्रति लेने से इनकार किया तथा प्रतिवादीगणों को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया परंतु प्रतिवादीगणों की ओर से कोई प्रत्युत्तर दाखिल नही किया गया। दिनांक 17.06.2022 को प्रतिवादीगणों के विद्वान अधिवक्ता को न्यायालय में बुलाया गया तथा अभिलेख का अवलोकन कराया तो अवलोकानोपरांत विद्वान अधिक्ता द्वारा आदेश फलक पर लिखा गया ‘‘पक्षकार ने विगत कई तिथियों से संपर्क नही किया है।’’ अतः दिनांक 06.08.2022 को प्रतिवादीगणों को प्रत्युत्तर से वंचित किया गया। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादीगणों द्वारा वादग्रस्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जें के आधार पर स्वत्व की घोषणा हेतु लाया गया है। किसी भी निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश करने से पूर्व यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया वाद किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन किस ओर है एवं यदि आवेदक का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार नही किया जाता है तो इससे आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी अथवा नही तथा पक्षकारों का आचरण कैसा है ? प्रस्तुत वाद में निबंधित महादा के द्वारा वादीगणों ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना बताया है। वादीगणों का कहना है कि विगत 12 वर्षो से अधिक समय से वादीगणों का वादग्रस्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अतः प्रथम दृष्टया वाद	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–87/2018

लगातार 14.12.2022	वादीगणों की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सुविधा की तुला भी वादीगणों की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। वाद अभी वादी साक्ष्य हेतु नियत है। विगत कई तिथियों से प्रतिवादीगणों की ओर से कोई पैरवी नही की जा रही है। वादग्रस्त भूमि का प्रथम संरक्षक न्यायालय होता है। न्यायालय का परम कर्तव्य है कि वह वादग्रस्त भूमि का वाद लबंन के दौरान संरक्षण करें। अगर वाद लबंन के दौरान वादग्रस्त भूमि का अंतरण किया जाता है तो इससे प्रस्तुत वाद के अंतिम निस्तारण में विलंभ होगा एवं वादों की बहुलता बढेगी। ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि को अंतिम निर्णय तक संरक्षण करना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी दशा में उभय पक्षों को वादग्रस्त भूमि के किसी भी अंश का बिना न्यायालय की अनुमति के वाद लंबन के दौरान विक्रय करने से आगामी 09 माह तक रोका जाता है तथा उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि आगामी 09 माह तक वादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति (Status quo) बनाये रखे। वादीगण के आवेदन दिनांक 24.12.2021 को निस्तारित किया जाता है। उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अंतिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नही करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन में न्यायालय का सहयोग करें। वाद दिनांक 04.01.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	